

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक -

प्रकरण क्रमांक-M-COM-2024-02601

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध "रायगढ़ इस्पात सिटी", प्रमोटर-रायगढ़ इस्पात एण्ड पावर प्राय.लिमि., पता-कृष्णा कॉम्पलेक्स, शॉप नं.-39 एवं 40, चैतन्य नगर, ढीमरापुर रोड, जिला-रायगढ़ (छ.ग)

प्रोजेक्ट-"रायगढ़ इस्पात सिटी" खैरपुर, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
06/11/2024	<p>- प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>- भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 धारा-5, अंतर्गत अनावेदक का प्रोजेक्ट "रायगढ़ इस्पात सिटी" पंजीयन क्रमांक-PCGRERA051019001057 के रूप में छत्तीसगढ़ रेरा में पंजीकृत किया गया है। छत्तीसगढ़ रेरा में पंजीकृत सभी प्रोजेक्ट्स को भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-11 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार प्रोजेक्ट की त्रैमासिक प्रगति रेरा के वेबपोर्टल पर अद्यतन करना अनिवार्य है। इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा अपने परिपत्र क्रमांक-17/रेरा/2018/562, दिनांक 28.09.2018 एवं क्रमांक-22/रेरा/2018/676, दिनांक 03.11.2018 के माध्यम से विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी किये गये थे। जो प्राधिकरण की वेबसाइट पर सहज उपलब्ध हैं।</p> <p>प्राधिकरण द्वारा समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि अनावेदक द्वारा उपरोक्त उल्लेखित प्रावधानों व निर्देशों की अवहेलना करते हुए, उपरोक्त वर्णित रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की त्रैमासिक प्रगति पोर्टल पर अद्यतन नहीं की गई है। अतः प्राधिकरण द्वारा अनावेदक के विरुद्ध दिनांक 30.10.2024 को प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।</p> <p>- प्राधिकरण द्वारा विवादित प्रोजेक्ट से संबंधित समस्त दस्तावेजों का अवलोकन व अध्ययन किया गया। अनावेदक द्वारा प्रोजेक्ट का त्रैमासिक अद्यतन प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर जून, 2024 तक अपलोड कर दिया गया है तथा वार्षिक विवरण वर्ष 2023-2024 प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है। अनावेदक द्वारा प्रोजेक्ट पंजीयन का विस्तार दिनांक 08.07.2025 तक किया गया है। प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश 31.03.2022 का अनुपालन अनावेदक द्वारा किया जा चुका है। प्राधिकरण द्वारा दिनांक 31.03.2022 को अनावेदक के विरुद्ध रुपये 50,000/- अधिरोपित की गई थी, जिसे अनावेदक द्वारा चालान के माध्यम से दिनांक 09.06.2022 को निर्धारित शासकीय मद में जमा कर चालान की प्रति प्रस्तुत की गई है।</p>	

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक -

प्रकरण क्रमांक-M-COM-2024-02601

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध "रायगढ़ इस्पात सिटी", प्रमोटर-रायगढ़ इस्पात एण्ड पावर प्राय.लिमि., पता-कृष्णा कॉम्पलेक्स, शॉप नं.-39 एवं 40, चैतन्य नगर, ढीमरापुर रोड, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)
प्रोजेक्ट-"रायगढ़ इस्पात सिटी" खैरपुर, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	<p>प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.07.2024 को अनावेदक के विरुद्ध रूपये 10,000/- शास्ति अधिरोपित की गई है, जिसे अनावेदक द्वारा ऑनलाईन चालान के माध्यम से दिनांक 05.07.2024 को निर्धारित शासकीय मद में जमा कर चालान की प्रति प्रस्तुत किया गया है। प्राधिकरण द्वारा प्रोजेक्ट के क्रय-विक्रय पर लगाया गया प्रतिबंध को हटाया जाना उचित प्रतीत होता है। साथ ही प्रोजेक्ट संबंधी समस्त खातों के आहरण पर लगाया गया रोक को हटाया जाना उचित प्रतीत होता है। रजिस्ट्रार, छ.ग. रेरा उक्त संबंध में पत्र प्रेषित करना सुनिश्चित करे। अतः प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने के कारण समाप्त किया जाता है।</p> <ul style="list-style-type: none">- आदेश की प्रति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड की जावे।- प्रकरण नस्तीबद्ध कर अभिलेख कोष्ठ में दाखिल किया जावे। <p style="text-align: center;">सही / - (धनंजय देवांगन) सदस्य</p> <p style="text-align: center;">सही / - (संजय शुक्ला) अध्यक्ष</p>	

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक -

प्रकरण क्रमांक-M-COM-2024-02601

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध "रायगढ़ इस्पात सिटी", प्रमोटर-रायगढ़ इस्पात एण्ड पावर प्राय.लिमि., पता-कृष्णा कॉम्पलेक्स, शॉप नं.-39 एवं 40, चैतन्य नगर, ढीमरापुर रोड, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)
प्रोजेक्ट-"रायगढ़ इस्पात सिटी" खैरपुर, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की
तारीख व स्थान

आदेश अथवा कार्यवाही

पक्षकार अथवा प्रतिनिधि
के हस्ताक्षर

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक -

प्रकरण क्रमांक-M-COM-2024-02601

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध "रायगढ़ इस्पात सिटी", प्रमोटर-रायगढ़ इस्पात एण्ड पावर प्राय.लिमि., पता-कृष्णा कॉम्पलेक्स, शॉप नं.-39 एवं 40, चैतन्य नगर, ढीमरापुर रोड, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)
प्रोजेक्ट-"रायगढ़ इस्पात सिटी" खैरपुर, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की
तारीख व स्थान

आदेश अथवा कार्यवाही

पक्षकार अथवा प्रतिनिधि
के हस्ताक्षर

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक -

प्रकरण क्रमांक-M-COM-2024-02601

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध "रायगढ़ इस्पात सिटी", प्रमोटर-रायगढ़ इस्पात एण्ड पावर प्राय.लिमि., पता-कृष्णा कॉम्पलेक्स, शॉप नं.-39 एवं 40, चैतन्य नगर, ढीमरापुर रोड, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)
प्रोजेक्ट-"रायगढ़ इस्पात सिटी" खैरपुर, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की
तारीख व स्थान

आदेश अथवा कार्यवाही

पक्षकार अथवा प्रतिनिधि
के हस्ताक्षर